Geographical Indication (GI)

What is a Geographical Indication?

- It is an indication and signifies that the product is originated from a definite geographical territory.
- It is used to identify agricultural, natural or manufactured goods
- It signifies that the manufactured goods has been produced or processed or prepared in that particular territory.
- It should have a special quality or reputation or other characteristics. i.e. Darjeeling tea became the first GI tagged product in India, in 2004–2005.

Following Products of Indian Handmade Carpet Industry have been registered as Authorized GI Products

Bhadohi carpet | Kashmir Hand Knotted Carpet | Mirzapur Dari | Agra Dari

Ghazipur Wall Hanging | Navalgund Dari | Warangal Dari

If you are a manufacturer/merchant exporter of the above products you can become a registered Authorized user of GI. The government of India is giving major thrust for branding to GI products and it is expected that Registered Authorized Users of GI Products will get some extra incentives in coming future.

Advantages of becoming a GI Authorized User:

- It prevents unauthorized use of registered Geographical Indication goods by third parties. It's creating a special status as Intellectual Property Right of the country after GI Registration.
- It will help boost exports and help project a brand image of the GI Products at an international platform.

How can you become an Authorized User of GI?

CEPC will facilitate our Member Exporters in becoming an authorized user of GI.

Kindly click here to view details on how to become an authorized user today.

Please feel free to contact us for any further assistance

CARPET EXPORT PROMOTION COUNCIL

Email : info@cepc.co.in | Website : www.cepc.co.in | Ph.: 011-23364716 / 17

****

भौगोलिक संकेतक (GI)

भौगोलिक संकेत क्या है?

- यह एक संकेतक है और यह दर्शाता है कि उत्पाद एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र से उत्पन्न हुआ है।
- इसका उपयोग कृषि, प्राकृतिक या निर्मित वस्तुओं की पहचान करने के लिए किया जाता है
- यह दर्शाता है कि निर्मित माल उस विशेष क्षेत्र में उत्पादित या संसाधित या तैयार किया गया है।
- इसमें एक विशेष गुण या प्रतिष्ठा या अन्य विशेषताएं होनी चाहिए । उदाहरण के लिए : दार्जिलिंग चाय को 2004-2005 में भारत का पहला जीआई (GI) उत्पाद था ।

भारतीय हस्तनिर्मित कालीन उद्योग के उत्पाद जिनको अधिकृत जीआई (GI) उत्पाद के रूप में पंजीकृत किया गया है

भदोही का हस्त निर्मित कालीन | कश्मीर हैंड नॉटेड कालीन | मिर्जापुर हस्तनिर्मित दरी | आगरा दरी

गाजीपुर वॉल हैंगिंग | नवलगुंड दरी | वारंगल दरी

यदि आप उपरोक्त उत्पादों के निर्माता / व्यापारी निर्यातक हैं तो आप जीआई (GI) के एक पंजीकृत एवं अधिकृत उपयोगकर्ता बन सकते हैं। भारत सरकार जीआई (GI) उत्पादों की ब्रांडिंग पर प्रमुख जोर दे रही है और उम्मीद है कि जीआई (GI) उत्पादों के पंजीकृत एवं प्राधिकृत उपयोगकर्ता को आने वाले भविष्य में अतिरिक्त प्रोत्साहन भी प्रदान किए जाएंगे ।

जीआई (GI) अधिकृत उपयोगकर्ता (Authorized User) बनने के लाभ:

- यह किसी अन्य पक्ष द्वारा पंजीकृत भौगोलिक संकेत वस्तुओं के अनधिकृत उपयोग को रोकता है। उत्पाद को जीआई (GI) पंजीकरण के बाद देश की बौद्धिक संपदा के रूप में एक विशेष अधिकार देता हैं ।

- यह निर्यात को बढ़ावा देने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जीआई (GI) उत्पादों की एक छवि बनाने में मदद करेगा।

आप जीआई GI के अधिकृत उपयोगकर्ता (Authorized User) कैसे बन सकते हैं?

कालीन निर्यात संवर्धन परिषद के सदस्य निर्यातकों को जीआई (GI) का अधिकृत उपयोगकर्ता बनाने के लिए विशेष सुविधा प्रदान कर रहा हैं ।

जीआई (GI) अधिकृत उपयोगकर्ता कैसे बनें, इस पर विस्तरत जानकारी के लिए कृपया यहां क्लिक करें।

किसी भी अन्य सहायता के लिए संपर्क करे:

कालीन निर्यात संवर्धन परिषद

ईमेल : info@cepc.co.in | वैबसाइट : www.cepc.co.in | दूरभाष : 011-23364716 / 17

****